कार्यालय : बरेली विकास प्राधिकरण

विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर, पीलीभीत रोड, बरेली।

पत्रांक सं० 9714 मा०/का० बी० डी० ए०/2018 दिनाँक : 1/3/2019

स्वीकृति पत्र

बरेली विकास क्षेत्र की सीमा में भवन निर्माण विकास हेतु

मैसर्स धनराज बिल्डर्स कन्सौर्टियम
बी–01, एकता नगर, बरेली।

आपके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्फोडेबिल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) के अन्तर्गत आराजी संख्या–1327 एवं 1338 ग्राम घंघौरा पिपरिया तहसील भोजीपुरा जिला, बरेली पर प्रस्तुत शौर्य नगर नाम से विकसित योजना पर उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा दिनांक 05–02–19 को प्रदान की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मानचित्र के संदर्भ में सी0एस0एम0सी0 की छत्तीसवीं बैठक दिनांक 26–11–18 एवं 21–12–18 के संदर्भ में मिनिस्टरी ऑफ हाउसिंग एण्ड अर्बन अफेयर्स, केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या– F-N-11011/98/2018-HFA-III-UD (E-File 9056875) दिनांक 17–01–19 के क्रम में निर्माण करने की अनुज्ञा निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। यदि आपके द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो सुसंगत बिधिक कार्यवाही के साथ–साथ यह स्वीकृति भी निरस्त हो जायेगी, और निरस्तीकरण के कारण जो भी विवाद होगा उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

शर्तें–

1. विकासकर्ता द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजना की निगरानी सूडा द्वारा निर्धारित तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेन्सी से करायी जायेगी जिसके लिए विकासकर्ता से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस एजेन्सी को सूडा द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि से भुगतान किया जाएगा।
2. योजना का क्रियान्वयन रियल स्टेट रेगुलेटरी अथौरिटी में पंजीकरण की तिथि से प्रारम्भ कराना होगा तथा ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण (स्थल विकास सहित) 24 माह में पूर्ण कराना होगा।
3. योजना के क्रियान्वयन में पर्यावरणीय नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत वांछित स्वीकृति के साथ–साथ इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. योजना के अन्तर्गत कुल 480 ई0डब्लू0एस0 ईकाईयों तथा 55 स्वयं भवन का निर्माण कराना है।
5. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा उल्लेखित शर्तो का अनुपालन करना होगा।
6. विकास शुल्क के मद में कुल आकंलित धनराशि रूपये–3179205/– के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण में आप द्वारा जमा की जा चुकी है।
7. 20 प्रतिशत भूमि बन्धक के मद में कुल क्षेत्रफल–2683.74 वर्गमी0 (मानचित्र में रंग से दर्शित) प्राधिकरण के पक्ष में रहेगी।
8. वाहय विकास के आवश्यक कार्य, योजना की सीमा से अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा। शेष समस्त वाहय विकास व आन्तरिक विकास कार्य आपको स्वयं करने होंगे।
9. स्थल पूर्णता अविकसित क्षेत्र में पड़ता है तथा स्थल हेतु पहुँच मार्ग व अन्य वाहय विकास यथा जलापूर्ति, विद्युतीकरण का कार्य विकासकर्ता द्वारा स्वयं कराया जायेगा।
10. प्राधिकरण को प्रस्तुत डी0पी0आर0 के समस्त बिन्दुओं का सशर्त पालन कराना आपके दायित्वों में सम्मिलित है।

11. योजना के पूर्ण होने के उपरान्त नगर निगम को हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण तक समस्त सुविधाओं का रख–रखाव आपके द्वारा किया जायेगा।
12. समस्त सुविधाओं सहित निर्माण कार्य 24 माह में पूर्ण करना होगा। 24 माह में निर्माण पूर्ण न करने की स्थिति में ई0डब्लू0एस0 योजना की लागत की 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन (अधिकतम 60 दिन तक) की दर से पेनल्टी देय होगी। 60 दिन की अवधि में पश्चात् बैंक गारन्टी तथा बंन्धक रखी गयी भूमि के जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
13. योजना के सम्बन्ध में समस्त विधिक एवं नियमानुसार वांछित अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा पर्यावरणीय स्वीकृति आदि विकासकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वयं प्राप्त किए जाऐंगे।
14. विकासकर्ता को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि योजना के अन्तर्गत निर्मित ईडब्लूएस इकाईयों का निर्माण कर उन्हे चिन्हित लाभार्थियों को निर्धारित समय में हस्तान्तरित किया जाएगा का अनुपालन करना होगा।
15. रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट) 2016 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों का पालन करना होगा तथा स्वीकृत योजना का Real Estate Regulatory Authority (RERA) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण कराने के पश्चात रेरा पंजीकरण संख्या प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
16. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों का प्लिन्थ तक निर्माण पूर्ण हो जाने पर स्थल का जी0पी0एस0 कोआर्डिनेट्स, तिथि एवं समय के साथ डिजीटल फोटोग्राफ्स प्राधिकरण में प्रस्तुत करने होंगे। इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि मौके पर फोटोग्राफ्स के अनुसार निर्माण किया गया है और यदि यह पाया जाता है कि स्वीकृत मानचित्र से इतर निर्माण कार्य कराया गया हैं, तो ऐसे निर्माण को सील कर दिये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं होगी।
17. विकासकर्ता विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक/गिरवी रखी गयी भूमि पर विकास एवं निर्माण कर सकेगा, परन्तु उनका विक्रय तब तक नहीं कर सकेगा, जब तक कि समस्त ईडब्लूएस आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं कर दिया जाता है।
18. ईडब्लूएस भवन का निर्माण न किये जाने की स्थिति में बैंक गारन्टी तथा बन्धक रखी गयी भूमि व उस पर निर्मित सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाएगा।
19. विकासकर्ता द्वारा PMAY योजना के अन्तर्गत निर्मित ईडब्लूएस भवनों का पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शासकीय अभिकरण द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को हस्तान्तरित करने के उपरान्त ही सक्षम अधिकारी द्वारा टी.डी.आर. प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा।
20. प्रस्तावित निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार एवं प्रयोजनार्थ किया जाना अनिवार्य है।
21. प्रस्तावित आवासीय भवन का निर्माण एवं विकास नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के वर्तमान नियमों एवं विशिष्टियों के अनुरूप तथा भूकम्परोधी किया जाना अनिवार्य है।
22. महायोजना में प्रस्तावित भू उपयोग के विरूद्ध यदि नान–कनफारमिंग उपयोग किसी भवन में चल रहा है जो निर्माण भवन उपविधि/नियम/विनियम के विरूद्ध है तो ऐसी दशा में भी उस भवन में परिवर्तन परिवर्धन तथा मरम्मत कार्य अनुमन्य नही होगा।
23. भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने तथा निर्माण कार्य की समाप्ति की सूचना विकास प्राधिकरण को देना अनिवार्य है तथा प्राधिकरण से कार्य समाप्ति प्रमाण–पत्र तथा आक्यूपेन्सी प्रमाण–पत्र लेना आवश्यक है।
24. इस अनुज्ञा की वैधता की अवधि 24 माह है तथा इस अवधि में यदि निर्माण पूर्ण नहीं किया जाता है तो कारण सहित प्रार्थी को पुनः प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

25. भू–स्वामित्व निर्धारण करने का अधिकार प्राधिकरण का नहीं है अर्थात प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने का अभिप्राय भू–स्वामित्व का निर्धारण करना नहीं है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में इसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
26. प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति यदि प्रार्थी द्वारा सारवान व्ययदेशन (मिसरिप्रजेन्टेशन) या किसी कपट पूर्ण वक्तव्य या सूचना के आधार पर प्राप्त की हैं तो यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इस अनुज्ञा के आधार पर किया गया कोई भी कार्य ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया समझा जायेगा अर्थात अबैध की श्रेणी में माना जायेगा।
27. स्वीकृत मानचित्र की प्रति निर्माण स्थल पर सदैव रखना अनिवार्य है जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षण के दौरान देख सकें।
28. प्रस्तावित आच्छादन के अतिरिक्त कोई भी निर्माण किये जाने से पूर्व सभी देय शुल्कों के साथ प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
29. पानी की निकासी एवं मल के निस्तारण की व्यवस्था समुचित ढंग से कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
30. प्रस्तुत स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर तथा पारित आदेशों (यदि कोई हों) के अधीन रहेगी एवं पक्ष द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
31. प्रस्तुत अभिलेख/भू–स्वामित्व सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
32. आवेदक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी यदि वह स्वयं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नही करता है तो प्राधिकरण पक्ष के व्यय पर कार्य कराकर राजस्व बकाया की भॉति वसूलने के लिए अधिकृत है।
33. सम्बन्धित आर्किटैक्ट/भवन स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी कि प्राधिकरण अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्माण का निरीक्षण कराये।
34. निर्माण का उपयोग करने से पूर्व यह अवगत कराना होगा कि स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र में जो भी शर्तें अंकित थीं, उनका अनुपालन कर लिया गया है अवगत कराते हुए सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
35. पूर्णता प्रमाण–पत्र अध्यासन से पूर्व प्राप्त करना होगा।
36. निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उसके पूर्ण अथवा किसी अंश का कोई उपयोग नही किया जायेगा।
37. आवेदक को भवन सामग्री अपने प्लाट में ही रखनी होगी।
38. निर्माण के समय स्थल पर आवेदक को मोटे अक्षरों में एक बोर्ड 2X3 फिट पर मानचित्र की छायाप्रति चस्पा कर स्थल के फ्रन्ट पर जो सडक से दिखे, लगाकर अवश्य रखेगें।
39. स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र पर अंकित शर्तों का आवेदक द्वारा पालन करना अनिवार्य है, यदि किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
40. भवन उपविधि–2008 के परिशिष्ट–5, उपविधि सं0–3.1.6 के अनुसार भवन निर्माण आरम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
41. भवन उपविधि–2008 के परिशिष्ट–6, उपविधि सं0–3.1.8 आवासीय भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकरण मे प्रस्तुत करना होगा।
42. पक्ष द्वारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर से किए गये प्रस्तुत अनुबन्ध के मानको के अनुसार भू–कम्परोधी मानकों का अनुपालन करते हुए भवन का निर्माण किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भवन की भू–कम्परोधी स्ट्रक्चरल ड्राईंग एवॅ डिजाइन किसी तकनीकी संस्थान के सिविल इंजीनियर विभाग से जॉच कराकर प्रस्तुत करने होगें। शासनादेश सं0–570/9–आ–1–2001/भूकम्परोधी/2001 आ0ब0,

दिनॉक –03–02–2001 (यथा संशोधित) के अनुरूप समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए भवन निर्माण करना होगा एवॅ भवन पूर्ण होने पर स्ट्रक्चरल डिजाइनर/स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

43. मानचित्रों में एरिया चार्ट में दर्शित क्षेत्रफल एवॅ गणनाओं में अन्तर पाये जाने की दशा में दोनों में न्यूनतम क्षेत्रफल/माप ही स्वीकृत मानी जायेगी।

44. भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण मे कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्व किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवॅ भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाऐं करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

45. भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्री–सीमेन्ट, स्टील, स्टोनग्रिट, ईट, कोर्स सैन्ड एवॅ मसाला तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लाई जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम की उपलब्धता कार्य स्थल पर ही सुनिश्चित करनी होगी, ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देखा जा सके।

46. यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नही किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट सन्तोषजनक नही होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नही किया जायेगा वरन निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेगें और तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

47. कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट X 3 फुट आकार एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भवन निर्माणकर्ता एवॅ स्वामी के नाम, आर्कीटैक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवॅ सुपरवीजन इंजीनियर का नाम कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त की तिथि तथा रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर इस प्रकार उल्लिखित हो कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही स्पष्ट पढ़ा जा सके।

48. मानचित्र निर्गत होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा अन्यथा निर्माण कार्य अवैध निर्माण की श्रेणी में माना जायेगा।

49. आवास एवॅ शहरी नियोजन अनुभाग–1 के द्वारा जारी शासनादेश सं0–675/आठ–1–10–115डी0ए/2टी0सी0–1, दिनॉक–13–4–2010 के द्वारा लागू अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 में निर्देशित सभी नियमों उपनियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाये तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

50. आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित विभागों को हस्तानान्तरित करने का उत्तरदायित्व आवेदकगण का होगा एवं हस्तगत होने तक विकास कार्यो का अनुरक्षण भी आवेदकगण द्वारा ही किया जायेगा। विकास कार्य पूर्ण करने हेतु पक्ष को अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

51. शासनादेशों के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग व वृक्षारोपण की समुचित व्यवस्था आवेदकगण को स्थल पर स्वंय करानी होगी।

52. प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति यदि प्रार्थी द्वारा सारवान व्ययदेशन (मिसरिप्रजेन्टेशन) या किसी कपट पूर्ण वक्तव्य या सूचना के आधार पर प्राप्त की हैं तो यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इस

अनुज्ञा के आधार पर किया गया कोई भी कार्य ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया समझा जायेगा अर्थात अवैध होगा। यदि प्रार्थी द्वारा कोई गलत सूचना दी गयी है तो उसके विरूद्ध अन्य कार्यवाही के साथ–साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

53. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पुनः स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
54. प्रर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं संवातन हेतु यान्त्रिक संवातन प्रणाली को स्थिति अनुसार स्थापित करने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
55. मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में अन्य सामान्यतः निर्धारित शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

<u>राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में वांछित शर्तें</u> :–

1. भवन निर्माण द्वारा सड़क के किनारों पर निर्माण सामग्री या मलवा स्टोर नहीं किया जायेगा/डाला नहीं जायेगा।
2. भवन निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण सामग्री को पूर्णतया तिरपाल आदि से कवर्ड किया जायेगा।
3. भवन निमार्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी किसी गतिविधि जैसे– निर्माण अथवा निर्माण सामग्री के स्टोरेज के कारण किसी प्रकार का वायु प्रदूषण न उत्पन्न हो।
4. उक्त नियम के उल्लघंन की स्थिति में भवन निर्माता को हरित न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार अर्थदण्ड देना होगा।
5. निर्माण सामग्री जैसे–सीमेन्ट, बालू या इसी प्रकार की अन्य सामग्री ढोने वाले ट्रक या इस्तेमाल होने वाले अन्य वाहन को पूर्णतया कवर्ड होना चाहिए।
6. भवन निर्माता द्वारा ऐसे नियम व शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी, जिससे हरित न्यायाधिकरण और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों का पालन हो सके।
7. प्रत्येक भवन निर्माता को निर्माण स्थल को पूर्णतया तिरपाल आदि से कवर्ड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी प्राकर की निर्माण सामग्री किसी सड़क/मार्ग पर न हो।
8. निर्माण सामग्री या इसी प्रकार की अन्य सामग्री ढोने वाले ट्रक या इस्तेमाल होंने वाले अन्य वाहन को पूर्णतया कवर्ड और सुरक्षित होना चाहिए।
9. निर्माण स्थलों पर होंने वाले धूल उत्सर्जन को पूर्णतया नियन्त्रित करने हेतु पूर्व सावधानियॉ बरती जाये।
10. निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों की अनलोडिंग के उपरान्त पूर्ण सफाई सुनिश्चित की जाये, तत्पश्चात उन्हें सड़क पर जाने की अनुमति दी जाये।
11. निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों को मास्क प्रदान किए जाये जोकि निर्माण सामग्री को ढोते है, जिससे उनके सांस में धूल के कण आदि न जायें।
12. प्रत्येक निर्माणकर्ता अथवा मालिक निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों को चिकित्सीय सहायता, जॉच और इलाज की व्यवस्था करेगा।
13. प्रत्येक भवन निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण सामग्री अथवा मलवा आदि को निर्माण स्थल पर अथवा डम्पिंग साइट या किसी अन्य स्थान पर नियम–शर्तों के अनुसार ले जाना होगा।
14. पत्थर तोड़ने अथवा घिसने के स्थान पर अनिवार्य रूप से पानी छिड़काव कराना होगा।

15. निर्माण स्थल के चारों ओर वायु अवरोधक दीवार बनायी जानी होगी।

16. उपरोक्त निर्माण कार्यों से सम्बंधित आदेशों की अवहेलना की स्थिति में प्रत्येक दोषी भवन निर्माता को रूपये–50,000/– का जुर्माना देना होगा और निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन के दोषी के लिए रूपये–5,000/– का जुर्माना देय होगा।

17. उपरोक्त शर्ते, निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट/मलवा, सामुदायिक स्थलों पर डम्प करने अथवा नदीं में प्रवाहित करने पर भी लागू होगा।

18. सामाजिक स्थलों पर निर्माण सामग्री स्टोर करने पर, सामग्री सीज करने के साथ–साथ रूपये–50,000/– का पर्यावरण अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

19. हरित न्यायाधिकण के अधिनियम 2010 की धारा–15 के अन्तर्गत उपरोक्त किसी भी प्रकार की घटना के लिए सम्बंधित के विरूद्ध रूपये–5,000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

20. उपरोक्त घटना के अन्तर्गत आरोपित अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी सम्बंधित के विरूद्ध इस बाबत नोटिस जारी करेगा, जिसमें न्यायाधिकरण के सम्मुख उपस्थित होकर जुर्माना देना होगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना 25 जनवरी, 2016 नई दिल्ली के अनुपालन हेतु शर्ते :–

निर्माणकर्ता द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना 25 जनवरी, 2016 नई दिल्ली में उल्लेखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 1000 वर्गफिट से अधिक निर्मित क्षेत्रफल के निर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट/पार्क/स्पेशल इकोनोमिक जोन (SEZ) के अन्तर्गत निर्माण कार्यो में फ्लाई ऐश एवं फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

सचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।